उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-23/2018/210/92-2-18-134जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक 25 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद गोरखपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन व आंगनबाडी भवनों के निर्माण कार्यो में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति संतोषजनक न पाये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री रऊफ अहमद, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-09/2016/2085/92-2-16-134जांच/2016 दिनांक 03-01-2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम'7 के अंतर्गत अनुशासिनक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बस्ती को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 31-05-2017 को सेवानिवृत्त हो गये है। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री रऊफ अहमद के विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-23/2018/210(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री रऊफ अहमद, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।